

ज्ञापांक: _____ /

प्राचार्य का कार्यालय: श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0

मुज0, दिनांक: _____ /

कार्यालय आदेश

सानान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 19300, दिनांक 13.10.2023 के क्रम में स्वास्थ्य निदेशालय ज्ञापांक 1531(4) दिनांक 14.10.2023 एवं ज्ञापांक 1543(4) दिनांक 18.10.2023 के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 में निहित शर्तों के अधीन स्वीनिंग समिति की बैठक दिनांक 08.12.2023 में लिये निर्णय व अनुशंसा के आलोक में प्राचार्य कार्यालय श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0 के नियमित स्थापना में कार्यरत निम्नलिखित उच्च वर्गीय लिपिक को आदेश निर्गमन की तिथि से तदर्थ एवं अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद प्रधान लिपिक का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्रमांक	नाम एवं वरीयता	वर्तमान पदस्थान	आरक्षण कोटि	पूर्व का वेतन स्तर	प्रोन्नति पश्चात देय वेतन स्तर	नियुक्ति तिथि	जन्म तिथि	विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि	सेवा समुष्टि की तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री विशाल पराशर वरीयता क्रमांक-2	प्राचार्य कार्यालय	सामान्य	पे लेवल-5	पे लेवल-6	04.04.2001	17.08.1979	22.08.2010	22.08.2010	
2	श्री रणजीत कुमार वरीयता क्रमांक-3	प्राचार्य कार्यालय	सामान्य	पे लेवल-5	पे लेवल-6	04.04.2001	01.08.1968	22.08.2015	22.08.2015	

1. कार्यकारी व्यवस्था की यह प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय में विचारधीन स्थित अभील संख्या 4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बर्नाम सुशील कुनार सिंह एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध बादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के कलाफल में प्रभावित होने की शर्त पर औपबंधिक रूप से उपरोक्त कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान की जा रही है।

2. सभी प्रोन्नत ब्रह्मन लिपिक को आदेश दिया जाता है कि प्रोन्नत पद पर तत्काल अपने पदस्थापित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

4. नियमित प्रोन्नति की प्रक्रिया में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चतर पद का प्रभार धारित लोक सेवक किसी कारणवश प्रोन्नति प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे उच्चतर पद से उसके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, यद्यपि उच्चतर पद के आधार पर प्राप्त की गयी वेतन भत्ते एवं सुविधाओं की वसूली उनसे नहीं की जायेगी।

₹0/-

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

मुज0, दिनांक:- 12/12/23

ज्ञापांक:- 1591/23

प्रतिलिपि- निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी विभागध्यक्ष/प्रभारी प्राथमिक प्रशासन/बरसर/लेखापाल/स्थापना लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी संबंधित कर्मियों, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ablo Rana
12/12/23

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।